(2)

कार्यालय अंचल अधिकारी, काँके, राँची।

विविध वाद संख्या– 56/2022-23

श्री अमरनाथ भगत ..... वादी

बनाम

श्री सुरेश नायक व अन्य ..... प्रतिवादी

आदेश

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग कार्रवाई के बारे टिप्पणी ता० सहि
21/03/23	आवेदक अमरनाथ भगत पिता स्व० श्याम सुन्दर भगत निवासी– इन्द्रपुरी रोड नं०– 2 थाना– सुखदेवनगर जिला– राँची द्वारा मौजा टेण्डर खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 41 रकबा 1.00 एकड़ में चल रही जमाबंदी अनुप घासी के नाम से पंजी ।। के भाग 1 पृष्ट संख्या 4 में कायम है। प्रथम पक्ष के द्वारा जमाबंदी रद्द करने का अनुरोध किया है। **प्रथम पक्ष अमरनाथ भगत के अनुसार समर्पित पक्ष :–** आवेदक अमरनाथ भगत पिता स्व० श्याम सुन्दर भगत निवासी– इन्द्रपुरी रोड नं०– 2 थाना– सुखदेवनगर जिला– राँची द्वारा मौजा टेण्डर खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 41 रकबा 1.00 एकड़ थाना काँके जिला राँची में अवस्थित है। जिसको मैनें दिनांक 04.06.2002 में दासु ग्वालीन पति विशेश्वर महतो एवं सुशीला ग्वालीन पति श्री सधा गोवाला से निबंधित पट्टा के द्वारा संख्या 6676 के द्वारा खरीदा है और तब से मेरा दखलकब्जा बरकरार है। खरीदगी के पश्चात मैने दाखिल कराये है जिसका म्युटेशन केश नं० 356 आर० 27/2002–03 और लगातार राज्य सरकार को लगान देते आ रहे है। खतियान में खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 41 अनुप घासी वल्द झुझुवा घासी के नाम से दर्ज है और कैफियत कॉलम में बकब्जे अनुप घासी दर्ज है। अनुप घासी को एक मात्र पुत्री लुन्दा घासी थी। अनुप घासी ने दिनांक 13.02.1974 को निबंधित पट्टा संख्या 2801 के द्वारा अपनी पुत्री लुन्दा घासी को उपहार स्वरूप खाता संख्या– 4 प्लॉट संख्या 41 तथा अन्य प्लॉट रूपया 1000/– जमीन लिख दिया। लुन्दाघासी ने खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 41 मौजा टेण्डर थाना काँके रकबा 1.00 एकड़ जमीन को मालकिन होने के नाते दिनांक 30.09.1975 को निबंधित पट्टा संख्या 14769 द्वारा घासु ग्वालीन पति विशेश्वर महतो एवं सुशीला ग्वालीन पति राधा ग्वाला को बिक्रय कर दिया। दासु ग्वालीन एवं सुशीला ग्वालीन क्रय के पश्चता दखल कब्जा में आकर दाखिल खारिज कराकर सरकार को लगातार लगान दिया और उनके पक्ष में लगान रसीद भी निर्गत हुआ। हाल सर्वे में दासु ग्वालीन पति विशेश्वर महतो को जमीन के दखल कब्जा में पाकर उनके नाम से बण्डा पर्चा निर्गत हुआ। आवेदक अमरनाथ भगत पिता– स्व० श्याम सुन्दर भगत ने खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 41 रकबा 1 एकड़ मौजा टेण्डर थाना काँके स्थित भूमि को	

Scanned with CamScanner

दासु ग्वालीन एवं सुशीला ग्वालीन से दिनांक 04.06.2002 को निबंधित पट्टा संख्या 6676 के द्वारा उचित मूल्य देकर क्रय किया। क्रय के पश्चात दखल कब्जा में आकर दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिया। जिसका संख्या 356 आर27/2002–03 के द्वारा दाखिल खारिज कराकर सरकार को आज तक लगान देते चले आ रहे है।

सुरेश नायक एवं परिबा नायक उर्फ बुतरू नायक दोनों के पिता– स्व० योगेश्वर घासी निवासी ग्राम टेण्डर थाना काँके जिला राँची के द्वारा असमाजिक तत्वों के साथ मिल कर उनके पूर्वजों द्वारा बिक्रय की गई भूमि अवैध रूप से कब्जा हेतु बार–बार प्रयास किया जाता है। सर्वे प्रथम वर्ष 2005 में योगेश्वर घासी, सुरेश नायक, बुतरू नायक तथा अन्य द्वारा अमर नाथ भगत के खरीदगी जमीन पर अवैध कब्जा का प्रयास किया गया जिसके कारण वाद संख्या 1584/05 धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रारंभ हुआ तथा न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम पक्ष अमरनाथ भगत के पक्ष में रिक्त तथा योगेश्वर घासी एवं अन्य के पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया।

तत्पश्चात वर्ष 2021 में सुरेश नायक, बुतरू नायक उर्फ परीबा नायक एवं अन्य द्वारा अमरनाथ भगत के खरीदगी भूमि पर जबरन दखल कब्जा का प्रयास किया गया जिसके कारण वाद संख्या एम– 560/21 न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रारंभ किया गया जिसमें सुरेश नायक वगैरह उपस्थित ही नहीं हुए और न्यायालय उनके विरूद्ध सशक्त का आदेश पारित किया।

पुनः सुरेश नायक, परीबा नायक एवं अन्य असमाजिक तत्वों द्वारा माह जुलाई 2022 मे अमरनाथ भगत की भूमि पर अवैध खुदाई करते हुए कब्जा को व्यवधान किया गया जिसके कारण न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, राँची के न्यायालय में वाद सं०– एम० 1969/22 प्रारंभ हुआ और उसमे यथा स्थिति बनाये रखने का उल्लंघन कर सुरेश नायक एवं अन्य द्वारा जे०सी०बी० से नवम्बर 2022 में जबरदस्ती खुदाई की गई तथा अमरनाथ भगत को रोकने पर जान से मारने की धमकी दी गई तथा यह भी कहा गया कि यह भूमि तुम्हारा नहीं है और प्लॉटिंग कर नाजायज ढंग से बेचने का भी प्रयास किया जा रहा है तथा उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजना के तहत लाभ लेने का कार्य किया जा रहा है।

द्वितीय पक्ष श्री सुरेश नायक वो बुतरू नायक, के आवेदन द्वारा समर्पित पक्षः–

यह कि मौजा टेण्डर खाता संख्या 4 प्लॉट संख्या 41 रकबा 1 एकड़ के रैयत के रूप में जमाबंदी अनुप घासी वगैरह के रूप में दर्ज है (पंजी ।। के भाग संख्या 1 पृष्ट संख्या 4 में कायम है) जो कि स्वर्गीय अनुप घासी द्वितीय पक्ष 1. श्री सुरेश नायक 2. श्री बुतरू नायक की मां स्व० लुंडा घासी एवं स्व० चिनियां घासी के पिता हुए जो कि विधिसम्मत वंशावली में दर्ज है।

यह कि आवेदित भूमि के संबंध में दिनांक 09.06.1976 को 5th Additional Subordinate Judge Ranchi के द्वारा Partition Suit 39 of 175/12 of 1976 का आदेश पारित है। जिसके तहत लुंडा घासी को उनके हिस्से स्वरूप

Scanned with CamScanner

उपरोक्त भूमि 1 एकड़ के रूप में प्राप्त हुई।

यह कि आवेदित भूमि द्वितीय पक्षकार Partition Suit No. 39 of 1975/ 12 of 1976 के Judgement के अनुसार आवेदित भूमि के Co- Sharer है।

यह कि आवेदित भूमि का बण्डा पर्चा अनुप घासी के नाम से द्वितीय पक्षकार के पास मौजुद है।

यह कि आवेदित भूमि से संबंधित वाद सं० M-1969/2022 S.D.O. Court, Ranchi में लंबित है।

यह कि आवेदित भूमि द्वितीय पक्षकार को स्व० लुंडा घासी से प्राप्त है जिसपर अभी तक पूर्ण स्वामित्व एवं दखलकार बरकरार है एवं खेती व जुताई का कार्य करते आ रहे है।

यह कि आवेदित भूमि लुंडा घासी के विधिक उत्तराधिकारी के रूप में द्वितीय पक्ष को हस्तांतरित हुई, चुंकि चीनीया घासी की मृत्यु के उपरान्त अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ गई।

यह कि उपरोक्त भूमि पर तब से अबतक जमीन के शांति पूर्वकार दखलकार चले आ रहे है।

यह कि उपरोक्त भूमि को लुंडा घासी या द्वितीय पक्षकार ने कभी भी किसी को हस्तांतरित नहीं किया है।

यह कि आवेदित जमीन पर द्वितीय पक्षकार ने कभी भी इस जमीन का स्वामित्व किसी अन्य के कब्जे में नहीं दिया है।

यह कि द्वितीय पक्षकार धर्म– हिन्दु जाति– घासी के अन्तर्गत आता है जो कि Chotanagpur Tendency Act 1908 के प्रभाव में आता है। जबकि प्रथम पक्षकार का यह दावा है कि उक्त जमीन अहिर जाति के द्वारा खरीदगी का है जो नितिगत एवं विधिसम्मत कानुनी रूप से संभव नहीं है।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदनः–

- **सर्वे खतियान के अनुसारः–**

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	खतियानी रैयत का नाम
टेण्डर	4	41	1.00 एकड़	अनुप घासी वल्द यमुना घासी वो बन्धना घासी, ललुवा गासी पेशरान– वुधु घासी

- **ऑनलाईन पंजी II के अनुसारः–**

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	पंजी II रैयत का नाम	भाग/पृष्ट	परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार
टेण्डर	4	41	1.00 एकड़	श्री अमरनाथ भगत, पिता श्याम सुन्दर भगत	1/280	दाखिल खारिज वाद संख्या 356 आर 27/2002–03 के अनुसार नाम इन्द्राज किया

Scanned with CamScanner

- **मंतव्यः–** पंजी ॥ रैयत को भूमि डीड सं0 6676, दिनांक– 04.06.2002 द्वारा खरीदगी से प्राप्त है। जिसका दाखिल खारिज वाद सं0– 356 आर 27/2002–03 द्वारा नामान्तरण होकर पंजी ॥ के भाग सं0– 1, पृष्ट सं0– 280 में जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2022–23 तक ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है।

राजस्व कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष का दावा सही है। चुँकि मामला दखल दिलाने से संबंधित है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से किया जा सकता है।

उभय पक्षों के द्वारा समर्पित कागजात, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष का दावा सही है। मामला दखल दिलाने से संबंधित है। आवेदक दखल हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची

Scanned with CamScanner

(५)

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

विषयः— मौजा— टेण्डर, खाता सं0— 4, प्लॉट सं0— 41, रकबा— 1.00 एकड़ भूमि का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में राजस्व कागजात से मिलान किया गया। जाँचोपरान्त जाँच प्रतिवेदन निम्नवत् हैः—

- **सर्वे खतियान के अनुसारः—**

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	खतियानी रैयत का नाम
टेण्डर	4	41	1.00 एकड़	अनुप घासी वल्द यमुना घासी वो बन्धना घासी, ललुवा गासी पेशरान— वुधु घासी

- **ऑनलाईन पंजी II के अनुसारः—**

मौजा	खाता	प्लॉट	रकबा	पंजी II रैयत का नाम	भाग/पृष्ट	परिवर्त्तन के लिए प्राधिकार
टेण्डर	4	41	1.00 एकड़	श्री अमरनाथ भगत, पिता श्याम सुन्दर भगत	1/280	दाखिल खारिज वाद संख्या 356 आर 27/2002—03 के अनुसार नाम इन्द्राज किया

- **मंतव्यः—** पंजी II रैयत को भूमि डीड सं0 6676, दिनांक— 04.06.2002 द्वारा खरीदगी से प्राप्त है। जिसका दाखिल खारिज वाद सं0— 356 आर 27/2002—03 द्वारा नामान्तरण होकर पंजी II के भाग सं0— 1, पृष्ट सं0— 280 में जमाबंदी कायम है तथा वर्ष 2022—23 तक ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत है।

राजस्व कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रथम पक्ष का दावा सही है। चुँकि मामला दखल दिलाने से संबंधित है, जिसका निपटारा सक्षम न्यायालय से किया जा सकता है।

रा0 उप निरीक्षक

अंचल निरीक्षक

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.08 14:10:01 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner